पहले: जे. वी. गुप्ता, जे.

पारस राम और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

राम सिंह और अन्य, - प्रतिवादी।

1979 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1688

11 अप्रैल 1989.

हिंदू कानून - अलगाव - वादी और प्रतिवादी के बीच मुकदमा - रखरखाव के लिए धन जुटाने के लिए प्रतिवादी द्वारा संपत्ति को गिरवी रखना - ऐसी आवश्यकता चाहे कानूनी हो - विचार के लिए बंधक सिद्ध - ऐसे बंधक की वैधता।

माना गया कि एक बार जब यह माना गया कि विचाराधीन बंधक विचाराधीन था तो कानूनी आवश्यकता का मुद्दा प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं रखा जा सकता था। यह साक्ष्य में है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुकदमा दायर करने के समय और बंधक के समय वादी और प्रतिवादी शिव लाल के बीच मुकदमा चल रहा था और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। खुद को बनाए रखने के लिए, इसलिए, उन्होंने जमीन के लिए मुकदमा रुपये का प्रतिफल गिरवी रख दिया। प्रतिवादियों के साथ 30,000 रु. इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता कि बंधक कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं था। कानूनी आवश्यकता की अवधारणा समय के साथ बदलती रहती है।

(पैरा 5).

वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत के आदेश (अपीलकर्ता की बढ़ी हुई शक्तियों के साथ) दिनांक 31 जनवरी, 1979 से नियमित दूसरी अपील, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, पलवल, दिनांक 20 अक्टूबर की लागत के साथ पुष्टि करते हुए, 1978, वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध लागत सहित घोषणा के लिए एक डिक्री पारित करते हुए, इस आशय का कि आक्षेपित बंधक-विलेख पूर्व। डी1, दिनांक 7 मार्च 1975, अवैध है, प्रथा के विरुद्ध है और वाद भूमि के संबंध में वादी के प्रत्यावर्तन अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

इस आशय की घोषणा के लिए डिक्री के लिए दावा करें कि वादी वाद की भूमि का मालिक है, जिसमें खेवट संख्या 95 खाता संख्या 228, आयत संख्या 5 किला संख्या 19/1(1-14), आयत शामिल है। नंबर 12 किला नंबर 61/1/19(0–2) 6/1/20(0–2) आयत नंबर 81 किला नंबर 16(2–7), 17/2(6–13)। 18/2(1–13), 24/1(0–13) आयत संख्या 5 किला संख्या 2(3–15)

8(5–7) 9(8–0) आयत संख्या 63 किला संख्या 5 /1(4–5) आयत संख्या 54 किला संख्या 25(7–9) आयत संख्या 5 किला संख्या 12/2 (6-7) 13(8-8) 14 (8–0) आयत संख्या। 63 किला नं. 4/1(4-0) कुल 66 कि.3 मी. हिस्सा 33 कि.ली. मी. गांव में स्थित हो जाता है। भुलवाना, तहसील पलवल, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध लागत सहित पारित किया जा सकता है।

अपील में दावा:–नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के आदेश को उलटने के लिए।

अपीलकर्ताओं की ओर से सी. बी. गोयल, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से अरुण जैन, अधिवक्ता।

फ़ैसला

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) शिव लाई, प्रतिवादी संख्या 1, वाद भूमि का मालिक है। दिनांक 7 मार्च, 1975 (एक्स.डी.एल.) के बंधक विलेख के माध्यम से उन्होंने रु. की राशि के लिए वाद भूमि को गिरवी रख दिया। पारस राम और अन्य, प्रतिवादी के साथ 30,000। इस राशि में से रु. 10,000 का भुगतान एक अलग रसीद द्वारा किया गया जबकि रु. बंधक विलेख के पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार के समक्ष 20,000 का भुगतान किया गया था। वादी राम सिंह स्वयं को बंधककर्ता का दत्तक पुत्र होने का दावा कर रहा है। शिव लाई ने अपने दत्तक पिता शिव लाई द्वारा किए गए कथित अलगाव को चुनौती देते हुए घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया। यह आरोप लगाया गया था कि मुकदमे की संपत्ति उसके लिए पैतृक थी, बंधक प्रतिफल और कानूनी आवश्यकता के बिना था और पक्ष अलगाव के मामलों में रीति-रिवाजों द्वारा शासित थे। गिरवीकर्ता शिव लाई ने अपना लिखित बयान दाखिल किया। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि वादी राम सिंह उनका दत्तक पुत्र है। उन्होंने दलील दी कि वादी ने धोखाधड़ी से गोद लेने का दस्तावेज प्राप्त कर लिया था; 'कि उसके द्वारा बनाया गया बंधक प्रतिफल और कानूनी आवश्यकता के लिए था; कि उनके और वादी राम सिंह, जो खुद को उनका दत्तक पुत्र होने का दावा करते थे, के बीच मुकदमा चल रहा था; और चूंकि उसके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था और वादी के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए कोई खर्च नहीं था, इसलिए उसके पास मुकदमे की जमीन को रुपये में गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 30,000 की राशि उसे विधिवत प्राप्त हुई। बंधकधारकों/प्रतिवादियों ने दलील दी कि वाद

भूमि वादी के लिए पैतृक नहीं थी, बंधक प्रतिफल और कानूनी आवश्यकता के लिए था और वादी राम सिंह बंधककर्ता शिव लाई का वैध रूप से दत्तक पुत्र नहीं था।

(2) ट्रायल कोर्ट ने पाया कि बंधककर्ता शिव लाई ने वादी को गोद ले लिया और तब से वह अपने परिवार में स्थानांतरित हो गया और सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए उसका बेटा बन गया, और इस तरह मुकदमा दायर करने का अधिकार उसके पास था। पार्टियों को प्रथागत कानून द्वारा शासित माना जाता था जिसके अनुसार पैतृक भूमि का हस्तांतरण कानूनी आवश्यकता के बिना नहीं किया जा सकता था। वादी की ओर से भूमि को पैतृक माना गया। यद्यपि अलगाव विचार के लिए पाया गया था लेकिन इसे कानूनी आवश्यकता के बिना माना गया था। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे का फैसला सुनाया गया, दिनांक 20 अक्टूबर, 1978 के फैसले के तहत। अपील में, विद्वान वरिष्ठ उप-न्यायाधीश ने बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की और इस प्रकार, फैसले और डिक्री को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट. विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि जहां तक विचार के प्रश्न का संबंध है, गिरवीदार

पारस राम और अन्य बनाम राम सिंह और अन्य (जे. वी. गुप्ता, जे.)

यह सिद्ध करने में सफल हो गया था कि बंधक प्रतिफल के लिए था; हालाँकि आगे यह माना गया कि वे कानूनी आवश्यकता में सुधार करने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई और उन्हें पता चला कि निचली अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को बरकरार रखा है।

(3) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली दोनों अदालतों के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि बंधक विचाराधीन था, कानूनी आवश्यकता रिकॉर्ड पर काफी हद तक साबित हो गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मुकदमे में शिव लाई द्वारा स्वयं दायर किए गए लिखित बयान से, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वादी और प्रतिवादी शिव लाई के बीच कुछ मुकदमा चल रहा था और उनके पास आजीविका का कोई अन्य स्रोत नहीं था और इस उद्देश्य के लिए उनके पास कोई अन्य साधन नहीं था। रुपये में जमीन गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के साथ 30,000। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, समय बीतने के साथ कानूनी

आवश्यकता की धारणा बदल जाती है, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, बंधक को कानूनी आवश्यकता के लिए भी रखा जाना चाहिए। निचली अदालतों के अन्य निष्कर्षों को उनके द्वारा चुनौती नहीं दी गई।

(4) दूसरी ओर, वादी-प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने कानूनी आवश्यकता को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया, और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर निचली अदालतों ने पाया है कि प्रतिवादी कानूनी मुद्दे को साबित करने में विफल रहे हैं। आवश्यकता है, और तथ्य की खोज होने के कारण दूसरी अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(5) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद मेरा मानना है कि एक बार जब यह माना गया कि प्रश्न में बंधक विचाराधीन था तो कानूनी आवश्यकता का मुद्दा प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं रखा जा सकता था। यह साक्ष्य में है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुकदमा दायर करने के समय और बंधक के समय वादी और प्रतिवादी शिव लाई के बीच मुकदमा चल रहा था और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। खुद का भरण-पोषण करें और इसलिए, उन्होंने मुकदमे की जमीन को रुपये के बदले में गिरवी रख दिया। प्रतिवादियों के पास 30,000 रु. इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता कि बंधक कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं था। कानूनी आवश्यकता की अवधारणा समय के साथ बदलती रहती है। वादी शिव लाई, एमडीआरटीजीए1-गोर का दत्तक पुत्र था। उन्होंने अपने दत्तक पिता की सेवा करने के बजाय उनसे मुक़दमा चलाना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, यदि शिव लाई ने वाद की भूमि को गिरवी रख दिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि हस्तांतरण बिना किसी कानूनी आवश्यकता के था। तथ्यों पर इस अलगाव के लिए वादी स्वयं जिम्मेदार था और मामले की परिस्थितियाँ। इस प्रकार, इस संबंध में निचली अदालतों का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत, अवैध और गलत धारणा वाला था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह नहीं माना जा सकता कि बंधक बिना किसी कानूनी आवश्यकता के था। नतीजतन, यह अपील सफल हो जाती है, निचली अदालतों के फैसले और डिक्री रद्द कर दी जाती हैं और मुकदमा लागत सहित खारिज कर दिया जाता है।

मोहन बीर सिंह, अपीलकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य,-प्रतिवादी।

आपराधिक अपील संख्या 8–1988 का एसबी

29 अप्रैल 1989.

शस्त्र अधिनियम (1878 का XI)–एस. 25-लाइसेंसी हथियार की जब्ती-मालिक को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया-पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया-ऐसे आदेश की वैधता। माना गया कि यदि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाना था, तो उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था कि क्यों न हथियार जब्त कर लिया जाए। चूँकि ज़ब्ती के समय कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, रिवॉल्वर ज़ब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है और पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ज़ब्ती के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया है।

(पैरा 5).

श्री आर.एल. आनंद, अतिरिक्त न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लुधियाना की अदालत के 18 फरवरी, 1985 के आदेश के खिलाफ अपील, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

<u>आरोप और सजा:</u> शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत। को 9 महीने की अवधि के लिए आर.आई. भुगतना होगा और रुपये का जुर्माना भरना होगा। 100 रुपये का भुगतान न करने पर आरोपी को दो महीने के लिए अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

केस नंबर. 184 दिनांक 24 दिसंबर 1984

एफआईआर संख्या 82 दिनांक 14 फरवरी 1984 धारा 25 के तहत? शस्त्र अधिनियम, पी.एस. सिविल लाइन्स, लुधियाना।

अपीलकर्ता की ओर से वी. राम स्वरूप, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से वकील चारू तुली।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा